खोया और पाया

मेरी संपत्ति के दस्तावेज खो गए

(पंजीकरण संख्या 5182
दिनांक:02/04/2016,
प्लॉट संख्या 1,2,11 और 12.
खसरा संख्या 1001)

मालिक का नाम- आशीष कुमार

पता: विज्ञान खंड, भरवारा,
गोमती नगर लखनऊ- 226010,

संपर्क : 9839117117

हादसे में होमगार्ड की मौत

उरई, 20 फरवरी (जनसत्ता)।

सिरसा कलार थाने से ड्यूटी कर वापस लौट रहे होमगार्ड्स की बाइक में कार ने टक्कर मार दी जिससे दोनों होमगार्ड घायल हो गए। उपचार के लिए उन्हें पीएचसी कुठौंद ले जाया गया जहां एक होमगार्ड की हालत नाजुक होने पर उसे मेडिकल कालेज रैफर किया गया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

कुठौंद थाना क्षेत्र के ग्राम मिहौना निवासी राजेश कुमार याज्ञिक (48) और ग्राम दौलतपुर निवासी प्रेम (55) दोनों होमगार्ड हैं। इन दिनों की सिरसा कलार थाना में उनकी ड्यूटी लगी हुई थी।

बोर्ड परीक्षा के समय और प्रश्न पत्रों में बदलाव

हापुड़, 20 फरवरी (जनसत्ता)।

यूपी बोर्ड की 22 फरवरी से होने वाली परीक्षाओं के समय में बदलाव किया गया है। साथ ही प्रश्न पत्र का प्रारूप भी बदला गया है। इस बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के तहत बोर्ड ने 70 अंक के लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र को भागों में विभक्त कर दिया है।

जिसमें प्रथम खंड 20 अंक का होगा, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर ओएमआर शीट पर देना होगा। वहीं 50 अंकों के दूसरे खंड में वर्णनात्मक प्रश्नों के उत्तर को पुस्तिका पर लिखना होगा।

स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा और विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दिया

लखनऊ, 20 फरवरी (भाषा)।

सपा के राष्ट्रीय महासचिव पद से त्यागपत्र देने के एक सप्ताह बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर खुद यह जानकारी दी। उन्होंने 'एक्स' पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव और विधान परिषद के सभापति के नाम संबोधित त्यागपत्र के अलग–अलग पन्नों को साझा किया है।

मौर्य ने यादव को लिखे पत्र में कहा कि आपके नेतृत्व में सौहार्दपूर्ण वातावरण में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ किंतु 12 फरवरी को हुई वार्ता और 13 फरवरी को प्रेषित पत्र पर किसी भी प्रकार की वार्ता के लिए पहल नहीं करने के परिणामस्वरूप मैं सपा की प्राथमिक सदस्यता से भी त्यागपत्र दे रहा हूं। विधान परिषद के सभापति को मौर्य ने लिखा कि मैं सपा के प्रत्याशी के रूप में विधानसभा, उप्र निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य, विधान परिषद सदस्य निर्वाचित हुआ। चूंकि मैंने सपा की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है, इसीलिए नैतिकता के आधार पर विधान परिषद, उप्र की सदस्यता से भी इस्तीफा दे रहा हूं।

राष्ट्रीय शोषित समाज नाम से बनाएंगे पार्टी

मौर्य अब राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी नाम की नई पार्टी बनाएंगे। मौर्य ने अपने भविष्य की रणनीति को अमलीजामा पहनाने के लिए 22 फरवरी को नई दिल्ली में समर्थकों की बैठक बुलाई है। विवादित बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी टिप्पणियों को लेकर पार्टी के कुछ नेताओं के रवैये से नाराज होकर 13 फरवरी को सपा के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया था।

डिंपल यादव ने साधा स्वामी पर निशाना

लखनऊ, 20 फरवरी (एजंसी)। सपा नेतृत्व से नाराजगी और पीडीए की उपेक्षा का आरोप लगाकर समाजवादी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और विधान परिषद सदस्य के पद से इस्तीफा देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को सपा नेता डिंपल यादव ने आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद विधानसभा चुनाव हार गए थे। सपा ने उन्हें विधान परिषद सदस्य बनाया है।

हिंदुजा हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड

HINDUJA HOUSING FINANCE

कॉर्पोरेट कार्यालयः नं. 167-169, द्वितीय तल, अन्ना सलाई, सैदापेट, चेन्नई-600015
द्वितीय तल, 212B & 212C, प्लॉट नं. TC/G-2/2 और TC/G-5/5 साईबर हाईट्स, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ-226010

आरआरएम – पंकज सिंह चौधरी – 7081828333, आरएलएम – अरुण कुमार सिंह – 9506011777, सीआरएम – दीपक कुमार – 9839600666, सीएलएम – यामिनी बौराई – 8960801850

सांकेतिक कब्जा सूचना

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रति भूति हित अधिनियम के प्रवर्तन के अधीन **हिंदुजा हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड**, का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 (2002 का नं. 3) के नियम के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियो के अंतर्गत निम्नलिखित कर्जदारों (तदोपरान्त कर्जदार एवं गारंटरों को संयुक्त रूप से ''कर्जदार'' कहा गया है) को निम्नांकित दिनांको को मांग नोटिस जारी किया था जिसमें उल्लेखित राशि प्रत्येक खाते के आगे वर्णित है उक्त सूचना की तिथि से 60 दिनों के अंदर भुगतान करने को कहा गया था।

कर्जदार उक्त राशि का भुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतदद्वारा कर्जदार और गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियमो के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत सम्पत्ति का कब्जा नीचे प्रत्येक खाते के सामने अंकित के अनुसार लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार और गारंटर तथा जनसाधारण को एतदद्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन–देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन **हिंदुजा हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड**, के प्रभार वास्ते निम्नलिखित राशि और उपरोक्तानुसार राशि पर संविदात्मक दर पर भविष्य का ब्याज, आकस्मिक खर्चे, लागत, प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा।

उधारकर्ता का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

क्र. सं.	कर्जदार/गारन्टर के नाम एवं पता	मांग सूचना की तारीख / कब्जा सूचना की तिथि	बकाया राशि	अचल सम्पतियों का विवरण
1	आवेदन नं. UP/LKW/LKNW/A000000390 श्री शानू रस्तोगी पुत्र सुरेश कुमार रस्तोगी, श्री सुरेश रस्तोगी पुत्र आत्मा नंद रस्तोगी और श्रीमती कंचन रस्तोगी पत्नी सुरेश रस्तोगी, सभीः निवासीः 417/298 निवाजगान, ठाकुरगंज, लखनऊ, मेट्रो, लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226003	08-09-2023 / 17-02-2024 भौतिक	₹ 47,71,045/- दिनांक 26-08-2023 तक + ब्याज इत्यादि	फ्लैट नं. 105, प्रथम तल, ''सुखराज टॉवर'' प्लॉट नं. 3,4,5 पर निर्मित (मिनजुमला) खसरा नं. 418 का हिस्सा, बटहा सबावली लाला लाजपत राय वार्ड, जिला लखनऊ, उप–रजिस्ट्रार सदर चतुर्थ लखनऊ में स्थित, क्षेत्रफल 112.45 वर्ग मी., चौहदीः उत्तर में – आम रास्ता फ्लैट नं.107, दक्षिण में – आम रास्ता फ्लैट नं.106, पूरब में – खुला आसमान और पश्चिम में – आम रास्ता फ्लैट नं. 104/106

दिनांक : 20-02-2024, स्थान : लखनऊ — प्राधिकृत अधिकारी, हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

भारतीय माइक्रो क्रेडिट

सीआईएन : U65992UP2008NPL034486

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 7 के तहत दायर आवेदन की सार्वजनिक सूचना

सूचना

कृपया ध्यान दें कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने भारतीय माइक्रो क्रेडिट ("कॉर्पोरेट देनदार") के खिलाफ आईबीसी की धारा 7 के तहत एनसीएलटी, इलाहाबाद के समक्ष एक आवेदन दायर किया है, जिसमें कॉर्पोरेट देनदार के सीआईआरपी शुरू करने की मांग की गई है। आवेदन का विवरण इस प्रकार है:

आवेदन संख्याः सी.पी. (आईबी) क्रमांक 1/एएलडी/2024

दाखिल करने की तिथिः 08.12.2023

एनसीएलटी पीठः इलाहाबाद

सुनवाई की अगली तारीखः 22.03.2024

यह नोटिस माननीय एनसीएलटी, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.02.2024 के अनुसार प्रकाशित किया गया है।

उपरोक्त आदेश के अनुसार आवेदन पर कोई भी आपत्ति या प्रतिक्रिया इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर दर्ज की जानी चाहिए।

सादर,
अधिवक्ता, रोशन कुमार
ईमेलः lexacuitylegal@gmail.com

कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी भावलखेड़ा- शाहजहांपुर

पत्रांकः सी–880/क्षे0पं0/टेन्डर/2023–24 दिनांक– 17.02.2024

अल्पकालीन निविदा सूचना

समस्त पंजीकृत ठेकेदारो को सूचित किया जाता है कि विकास खण्ड भावलखेड़ा जनपद शाहजहाँपुर में वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु केन्द्र वित्त/राज्य वित्त आयोग से निम्न विवरण के अनुसार निर्माण कार्य कराने हेतु शासन की गाइडलाइन के अनुरूप 10 लाख से ऊपर के कार्य ई–टेन्डरिंग द्वारा http://etender.up.nic.in बेबसाइट पर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय पत्रांक सी– 879/क्षे0पं0/टेन्डर/2023–24 दिनांक 17.02.2024 के क्रम में प्रकाशित किया जा चुका है। जो दिनांक 19.02.2024 से 26.02.2024 पूर्वाहन 12:00 बजे तक आमंत्रित है। जिसमें त्रुटिवश कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी भावलखेड़ा व मा0 ब्लाक प्रमुख क्षेत्र पंचायत भावलखेड़ा के स्थान पर कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी तिलहर व मा0 ब्लाक प्रमुख क्षेत्र पंचायत तिलहर लिख गया है एवं पत्रांक संख्या रिक्त है उक्त लिपिकीय त्रुटि के स्थान पर कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी भावलखेड़ा व मा0 ब्लाक प्रमुख क्षेत्र पंचायत भावलखेड़ा एवं पत्रांक संख्या सी– 879 पढ़ा जाए टेन्डर की अन्य नियम व शर्तें पूर्ववत ही रहेंगी।

खण्ड विकास अधिकारी
भावलखेड़ा- शाहजहाँपुर

तीन करोड़ की नशीली दवाएं बरामद, कारोबारी गिरफ्तार

बरेली, 20 फरवरी (जनसत्ता)।

थाना सीबीगंज की पुलिस, राज्य औषधि विभाग और एंटी नार्कोटिक्स कार्यबल की संयुक्त कार्रवाई में एक मेडिकल स्टोर के गोदाम से भारी मात्रा में नशीली दवाएं बरामद की गई हैं। गोदाम से बरामद की गई नशीली दवाओं की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग तीन करोड़ रुपए आंकी गई है। थाना प्रभारी निरीक्षक राधे श्याम ने बताया कि मेडिकल स्टोर के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है।

थाना सीबीगंज की पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक नार्कोटिक्स विभाग के अधिकारियों को काफी समय से यहां के एक मेडिकल स्टोर पर नशीली दवाएं बड़ी मात्रा में बेचे जाने की सूचनाएं मिल रही थीं। थाना पुलिस के अलावा राज्य औषधि विभाग के अधिकारियों के संयुक्त दल ने महेशपुर में एक गोदाम में सोमवार देर रात अचानक छापा मारकर नशीली दवाओं का जखीरा बरामद किया है।

छापादल ने यहां से कुल 248 पेटी दवाएं बरामद की हैं। इन नशीली दवाओं में ट्रामाडोल, अल्प्राजोलम, कोडीन फास्फेट और नाइट्राजीपाम शामिल है। पूछताछ में दवा कारोबारी मुन्ने ने बताया कि वह महेशपुर गांव का ही रहने वाला है। किला फाटक के पास किला मेडिकल स्टोर नाम से उसकी दुकान है जहां नशीली दवाओं को ले जाकर बेचता है।

कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड

परिसपत्ति का ऑनलाइन ई–नीलामी विक्रय

पंजीकृत कार्यालय : 27 बीकेसी, सी–27, जी–ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई, महाराष्ट्र पिन कोड–400 051, शाखा कार्यालयः स्पीड बिल्डिंग 3, शाहजहां रोड, ला प्लेस, हजरतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226001

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9(1) के परंतुक के साथ पठित नियम 8(5) के तहत वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना। एतद्द्वारा जनसाधारण को और विशेष रूप में उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत ऋणदातता के पास बंधककृत/प्रभारित रखी गई निम्न विवरणित अचल संपत्ति, जिसका अधिग्रहण कोटक महिंद्रा बैंक लि. (केएमबीएल) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेउ के रूप में नवनामित) द्वारा अपने पक्ष में ऋण के एसाइनमेंट के अनुसार, 04–11–2022 को, कर लिया गया है, उसे अब 27–मार्च–2024 को दोपहर 12:00 बजे से अपराहन 1:00 बजे के बीच 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ ''जैसी है जहां है'', ''जैसी है जो है'' और ''वहां जो कुछ भी है'' आधार पर बेचा जाएगा। यह विक्रय जो होगा वह आजाद अंसारी और वहीदा बानो की ओर से केएमबीएल, प्रतिभूत ऋणदाता को देय–भुगतेय, ऋण खाता संख्या एचएल/0043/एच/16/100016 के तहत दिनांक 16–02–2024 के अनुसार रु. 19,69,682/– (रुपये उन्नीस लाख उनहत्तर हजार छह सौ बयासी मात्र) की एक राशि और इस राशि पर पूर्ण भुगतान होने तक 17–02–2024 से लागू भावी ब्याज तथा लागत एवं शुल्कों की वसूली करने के लिये किया जाएगा। आरक्षित मूल्य रु. 15,50,000/– (रुपये पंद्रह लाख पचास हजार मात्र) होगा और धरोहर राशि जमा रु. 1,55,000/– (रुपये एक लाख पचपन हजार मात्र) होगी तथा केवाईसी के साथ ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 26–मार्च–2024 को सायं 6:00 बजे (आईएसटी) तक होगी। अचल संपत्ति विवरण, ज्ञात ऋणभारों, यदि कोई, के साथ : भूखंड सं. 19 की बंधक संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश जो भूमि के भाग की संरचना, खसरा सं. 63 पर, सैदपुर जागीर, परगना–लखनऊ, तहसील–बख्शी का तालाबा, जनपद–लखनऊ–227202 में स्थित है, डाकीय पता :– भूखंड सं. 19, खसरा सं. 63 का भाग, मिंजुला लक्ष्मण विहार ग्राम सैदपुर जागीर बख्शी का तालाब लखनऊ–227202 में स्थित है। उधारकर्ता का ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्ति को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, सरफॉएसि अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा 8 के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है। जनसाधारण और विशेष रूप से उधारकर्तागण कृपया सूचना प्राप्त करें कि यदि यहां इसमें अनुसूचित नीलामी किसी भी कारण से विफल हो जाती है तो प्रतिभूत लेनदार अपने विवेकानुसार निजी संधि के माध्यम से बिक्री करके प्रतिभूति हित प्रवर्तित कर सकते हैं। बिक्री के तहत रखी गई परिसंपत्तियों के संबंध में किसी भी स्पष्टीकरण/आवश्यकता की स्थिति में, बोलीदाता श्री अक्षित सोलंकी को (+91 6394015464), श्री सोमेश सुंद्रियाल (+91 9910563402), श्री श्रेष्ठ शुक्ला (+91 9307071107) (+91 9152219751) और श्री राजेंद्र दहिया (+91 8448264515) से संपर्क कर सकते हैं। बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए कृपया केएमबीएल की वेबसाइट अर्थात् www.kotak.com तथा/अथवा https://bankauctions.in/ पर उपलब्ध लिंक https://www.kotak.com/en/ bank-auctions.html देखें।

प्राधिकृत अधिकारी
कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड

स्थान : लखनऊ, दिनांक : 21–02–2024

हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजी. कार्यालय : 09, सामुदायिक केन्द्र, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली–110057
दूरभाष : 011 49267000, टोल फ्री नंबर : 1800 212 8800, ई–मेल : customer.care@herohfl.com
वेबसाइट : www.herohousingfinance.com, सीआईएन : U65192DL2016PLC30148
संपर्क पता : बिल्डिंग नं. 27, द्वितीय तल, सामुदायिक केंद्र, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली–110057

मांग सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 (''नियमावली'') के नियम 3 के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (''अधिनियम'') की धारा 13(2) के अंतर्गत।

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एचएचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधिनियम के अंतर्गत और नियमावली के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत पहले ही विस्तृत मांग सूचनाएं दिनांकित निम्नानुसार निर्गत की थीं, जिनमें ऋणकर्ता(ओं)/सह–ऋणकर्ता(ओं)/गारंटर(रों) (सभी एकल रूप में अथवा संयुक्त रूप में एक साथ ''दायित्वधारकों'' के रूप में संदर्भित)/विधिक उत्तराधिकारी(रियों)/विधिक प्रतिनिधि(यों), यहां नीचे सूचीबद्ध, को संबंधित मांग सूचना/ओं में अंकित राशियों का, संबंधित सूचना/ओं की तिथि से 60 दिवसों के अंदर, नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार, भुगतान करने को कहा गया था। उक्त सूचनाओं की प्रतियां पंजीकृत डाक ए.डी. द्वारा प्रेषित की गई हैं और अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास उपलब्ध हैं, और उक्त दायित्वधारक(गण)/विधिक उत्तराधिकारी(गण)/विधिक प्रतिनिधि(गण), यदि वे इच्छुक हैं, संबंधित प्रति को अधोहस्ताक्षरकर्ता से किसी भी कार्यदिवस पर सामान्य कार्यालय घंटों के दौरान प्राप्त कर सकते हैं।

उपरोक्त के संबंध में, एतद्द्वारा उक्त दायित्वधारक(रियों)/विधिक उत्तराधिकारी(रियों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) को एक बार पुनः सूचित किया जाता है कि वे एचएचएफएल को, संबंधित सूचना/ओं की तिथि से 60 दिवसों के अंदर, उनके संबंधित नामों के समक्ष यहां इसमें निम्न उल्लिखित राशियों का, उक्त दायित्वधारक(रियों) द्वारा निष्पादित ऋण अनुबंध तथा अन्य प्रलेखों/आलेखों, यदि कोई, के साथ पठित, स्तंभ (घ) में निम्नांकित संबंधित तिथियों से लेकर के भुगतान तथा/अथवा वसूली होने की तिथि तक आकलित निम्न विवरणितानुसार भावी ब्याज के साथ, भुगतान कर दें। ऋण के नियत प्रतिभुगतान हेतु प्रतिभूति के रूप में, उक्त दायित्वधारक(रियों) द्वारा निम्नलिखित प्रतिभूत परिसंपत्ति(यों) को एचएचएफएल के पास क्रमशः बंधक रखा गया हैः

ऋण खाता सं.	दायित्वधारी(रियों) / विधिक उत्तराधिकारी(रियों) / विधिक प्रतिनिधि(यों) के नाम	निम्न तिथि के अनुसार कुल बकाया देयराशि (रु.)	मांग सूचना की तिथि / एनपीए की तिथि
HHFLUCHOU 19000000962	मोती लाल यादव, संगीता, अमित सिंह	रु. 18,96,096/– 19–फर.–2024 के अनुसार	19–फर.–2024 / 08–जुला.–2023

प्रतिभूत परिसंपत्तियों / अचल संपत्तियों / बंधककृत संपत्तियों का विवरण : फ्लैट नं. बी–101, प्रथम तल आवृत्त क्षेत्र माप 62.267 वर्ग मीटर / 670 वर्ग फुट, 7 अधि क्षेत्रफल माप 66.914 वर्ग मीटर / 720 वर्ग फुट, अनी शक्ति, फेज–II, भूखंड सं. 11, 12, 13 एवं 14, खसरा सं. 215 एवं 217 मिन, जो भरवारा, वार्ड चिनहट, तहसील एवं जिला लखनऊ, उत्तर प्रदेश–227105 में स्थित, एक कार पार्किंग सुविधा के साथ तथा निम्नानुसार परिसीमित है : उत्तर– आकाश की ओर खुला; पूर्व– साधारण गलियारा; दक्षिण– अन्य का फ्लैट; पश्चिम– आकाश की ओर खुला।

*ऊपर अंकित संबंधित मांग सूचना उपरांकित दिनांक में अधिक विशिष्ट रूप में उल्लेखितानुसार दर पर भावी ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, आकस्मिक व्यय, लागतें, शुल्क इत्यादि जो भुगतान तथा/अथवा वसूली की तिथि तक उपगत हैं। यदि उक्त दायित्वधारक(गण) उपर्युक्तानुसार एचएचएफएल को भुगतान करने में विफल होंगे, तो एचएचएफएल उपरोक्त प्रतिभूत परिसंपत्ति(यों)/अचल संपत्ति(यों) के विरुद्ध, लागतों एवं परिणामों से संबंधित उक्त दायित्वधारक(रियों)/विधिक उत्तराधिकारी(रियों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) के संपूर्ण जोखिम पर उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) और यथा लागू नियमावली के अधीन कार्रवाई करेंगी।

उक्त दायित्वधारक(रियों)/विधिक उत्तराधिकारी(रियों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) को उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्रतिबंधित किया जाता है कि वे एचएचएफएल की पूर्व लिखित अनुमति–सहमति के बिना उपर्युक्त प्रतिभूत परिसंपत्ति(यों)/अचल संपत्ति का विक्रय, पट्टा के माध्यम से अथवा अन्यथा हस्तांतरण नहीं कर सकेंगे। कोई भी व्यक्ति जो अधिनियम के प्रावधानों अथवा उसके अंतर्गत विरचित नियमावली का उल्लंघन करता है अथवा उल्लंघन के लिए उकसाता है उसे अधिनियम के अंतर्गत उपलब्धानुसार कारावास दंड तथा/अथवा अर्थदंड दिया जायेगा।

दिनांक : 21–फर.–2024, स्थान : लखनऊ — हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी, कृते हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

जलकल विभाग, नगर निगम, जोन–2, ऐशबाग लखनऊ

अति–अल्पकालीन निविदा सूचना

पत्रं.सं. 1974/EE-2/LJS दिनाँकः 20/02/2024

एतद्द्वारा जलकल विभाग, नगर निगम, लखनऊ के अनुभवी एवम् पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्यों हेतु मुहरबंद निविदायें दिनाँक 01/03/2024 के सॉयकाल 03:00 बजे तक निविदा बाक्स में आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र किसी भी कार्य दिवस में दिनाँक 01/03/2024 को 02:00 बजे तक निविदा मूल्य का नगद भुगतान कैश काउण्टर पर करके निविदा प्रपत्र प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदा बाक्स से प्राप्त निविदायें उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष सॉयकाल 03:30 बजे खोली जायेंगी। समयावधि के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।

नियम एवम् शर्तें निविदा प्रपत्र में दी गई हैं, जिन्हें किसी भी कार्यदिवस में देखा व क्रय किया जा सकता है। निविदा के साथ वांछित धरोहर राशि एफ.डी.आर./सी.डी.आर./बैंक गारण्टी जो ''अधिशाषी अभियन्ता'' जलकल विभाग नगर निगम लखनऊ के नाम बन्धक होना अनिवार्य है।

क्र. सं.	कार्य का विवरण	निविदा का मूल्य	धरोहर धनराशि
1	Operation & maintenance of ZPS at F-Block Rajajipuram Zone-2	300.00	4300

हस्ता/–
अधिशाषी अभियन्ता
जोन–2, जलकल विभाग,
नगर निगम, लखनऊ।

युवक की हत्या का आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा

मोदीनगर, 20 फरवरी (जनसत्ता)।

थाना निवाड़ी क्षेत्र अंतर्गत पुलिस ने गांव सारा में एक युवक की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया है।

एसीपी ज्ञान प्रकाश राय ने बताया कि गत रविवार को थाना निवाड़ी पर धर्मवीर पुत्र बीरा निवासी गांव सारा थाना निवाड़ी ने तहरीर दी कि जब मेरा भतीजा प्रदीप अपने दोस्तों के साथ घर आ रहा था तो अनमोल, आशीष व 5–6 अन्य लड़कों द्वारा प्रदीप को रास्ते में रोककर उसके साथ गाली गलौज कर मारपीट की गई तथा जान से मारने की नियत से मेरे भतीजे प्रदीप के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर मौके से भाग गए। अस्पताल में चिकित्सक ने प्रदीप को मृत घोषित कर दिया है।

थाना निवाड़ी पुलिस द्वारा तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए चार टीमों का गठन किया गया। सोमवार को थाना निवाड़ी पुलिस द्वारा जांच के दौरान मुखबिर की सूचना पर घटना कारित करने वाले आरोपी अनमोल निवासी गांव सारा थाना निवाड़ी को गिरफ्तार किया गया, जिसके अन्य साथियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है।

इन्वेंट एसेट्स सिक्योरिटीजेशन एंड रीकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड

invent

सुइट बी, ग्राउंड फ्लोर, बख्तावर, 225, नरीमन पॉइंट, मुंबई – 400021 फोन: 022 – 22801516

परिशिष्ट–IV–ए [नियम 8 आर/डब्ल्यू नियम 9 का परंतुक देखें]
अचल संपत्ति की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

सार्वजनिक सूचना – अचल संपत्ति की नीलामी सह बिक्री 'सुरक्षित') मेसर्स एफ एंड जेड एंटरप्राइजेज की संपत्तियां ('उधारकर्ता.) सुरक्षा हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 आर/डब्ल्यू नियम 9 के तहत उनके बकाए की वसूली।

जबकि 'वित्तीय संपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) की धारा 13 (2) के तहत, इन्वेंट एसेट्स सिक्योरिटीजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (इन्वेंट) के अधिकृत अधिकारी ने **06 नवंबर 2019** को डिमांड नोटिस जारी किया था। जिसमे रुपये की राशि की वसूली के लिए उधारकर्ता एफ एंड जेड एंटरप्राइजेज, उसके गारंटरों और बंधककर्ताओं को आमंत्रित कर उक्त नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर अतिरिक्त ब्याज और आकस्मिक खर्चों और लागतों के साथ 5 नवंबर 2019 को 2,86,44,318/– (रुपये दो करोड़ छियासी लाख चौवालीस हजार तीन सौ अठारह मात्र) भुगतान करने को कहा था

और जबकि, उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता मांग नोटिस के अनुसार बकाया चुकाने में विफल रहे और उपेक्षा की, इन्वेंट के प्राधिकृत अधिकारी ने 23 फरवरी 2021 को सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत इसकी गिरवी रखी संपत्ति पर कब्जा कर लिया है।

इसके द्वारा आम जनता को सूचना दी जाती है कि इनवेंट एसेट्स सिक्यूरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (इनवेंट) एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है जो सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों की धारा 3 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत है, जो 'इनवेंट' /617/बीएमसी/पी14 ट्रस्ट' के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्य कर रही है।, जिसने सरफेसी अधिनियम की धारा 5 के तहत अंतर्निहित सुरक्षा में निहित सभी अधिकारों, शीर्षक और हितों के साथ एफ एंड जेड एंटरप्राइजेज (उधारकर्ता) द्वारा देय और देय बीएमसी बैंक से संपूर्ण बकाया ऋण प्राप्त कर लिया है। 31 मार्च, 2017 को पंजीकृत असाइनमेंट एग्रीमेंट के माध्यम से सब रजिस्ट्रार मुंबई के साथ विधिवत पंजीकृत किया गया। उक्त वित्तीय परिसंपत्तियों में सुरक्षा हित अब इन्वेंट को सौंपा/स्थानांतरित और निहित किया जाएगा।

नीचे वर्णित सुरक्षित परिसंपत्तियों की खरीद के लिए इच्छुक क्रेताओं/बोलीदाताओं से सीलबंद लिफाफे/कवर में अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं, जैसा कि नीचे वर्णित है, 'जैसा है जहां है आधार', 'जैसा है जो है' और 'कोई सहारा नहीं' के आधार पर बिक्री के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित अधिनियम, 2002 और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के प्रावधान। आम जनता को व्यक्तिगत रूप से या उनके विधिवत अधिकृत एजेंट के माध्यम से बोली में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

1	सुरक्षित ऋणदाता का नाम	इन्वेंट एसेट्स सिक्यूरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (इनवेंट), "INVENT/1617/BMC/P14 ट्रस्ट'के ट्रस्टी के रूप में कार्य कर रहा है।
2	उधारकर्ता का नाम	एफ एंड जेड एंटरप्राइजेज
3	गिरवीकर्ता का नाम	श्रीमती मलिका जहां बेगम
4	गारंटर का नाम	श्री मोहसिन अली खान, श्रीमती मलिका जहाँ बेगम और श्री मोहम्मद इजहार हुसैन
5	कुल देनदारियों	5 नवंबर 2019 को रु. 2,86,44,318/– (दो करोड़ छियासी लाख चौवालीस हजार तीन सौ अठारह रुपये मात्र), वसूली/वसूली की तारीख तक संविदात्मक दर पर भविष्य के ब्याज और उस पर अन्य खर्चों/लागतों के साथ
6	बोली जमा करने की अंतिम तिथि और समय	27 मार्च, 2024 पूर्वाह्न 11:00 बजे तक
7	वह पता जिस पर निविदा प्रस्तुत की जानी है	बख्तावर, सुइट 'बी', ग्राउंड फ्लोर, बैकबे रिक्लेमेशन स्कीम ब्लॉक III, 229, नरीमन पॉइंट, मुंबई – 400 021
8	बोली खोलने की तिथि एवं समय	27 मार्च, 2024, दोपहर 12.00 बजे
9	नीलामी का स्थान	बख्तावर, सुइट 'बी', ग्राउंड फ्लोर, बैकबे रिक्लेमेशन स्कीम ब्लॉक III, 229, नरीमन पॉइंट, मुंबई – 400 021
10	अचल संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति का विवरण	संपत्ति 205/9 जिसका क्षेत्रफल 1539 वर्ग फुट. आगा मीर ड्योढ़ी, वजीरगंज के पास, लखनऊ पर स्थित है,
11	आरक्षित मूल्य	15,,00,000/– रुपये (पंद्रह लाख रुपये मात्र)
12	बयाना राशि जमा (ईएमडी)	आरक्षित मूल्य का 10प्रतिशत यानी 1,50,000/– रुपये (एक लाख पचास हजार रुपये मात्र)
13	निरीक्षण दिनांक एवं समय	01 मार्च, 2024 प्रातः 11.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक।

14. सुरक्षित परिसंपत्तियों पर कोई ज्ञात बाधा नहीं है
15. फ्लैट/परिसर के क्षेत्र को स्वतंत्र रूप से सत्यापित करना और अन्य विवरणों से संतुष्ट होना इच्छुक बोलीदाताओं की एकमात्र जिम्मेदारी होगी। सुरक्षित लेनदार उत्तरदायी नहीं होंगे सुरक्षित परिसंपत्तियों में किसी त्रुटि/चूक/विसंगति/कमी आदि के लिए या किसी अनुमति आदि प्राप्त करने के लिए या कानून द्वारा स्थापित किसी प्राधिकरण के बकाए के लिए।

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया www.inventarc.com में दिए गए लिंक को देखें। सिक्योर्ड क्रेडिटर की वेबसाइट और अधिक जानकारी के लिए, श्री अंकित शेट्टी, अधिकृत अधिकारी, इन्वेंट एसेट सिक्यूरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड फोन नंबरः 022–22801519, मोबाइल नंबरः 9920587626, ईमेल आईडी: ankit.shetty@inventarc.com. से संपर्क करें।

तारीखः 20 फरवरी, 2024
स्थानः मुंबई

हस्ता/–
प्राधिकृत अधिकारी,
इन्वेंट एसेट्स सिक्यूरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
"INVENT/1617/BMC/P14 ट्रस्ट'के ट्रस्टी के रूप में

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक! punjab national bank ...the name you can BANK upon!

ई–नीलामी बिक्री सूचना

मंडल कार्यालय– 01 पल्टन बाजार, पीएनबी हाउस, देहरादून, उत्तराखण्ड

आम लोगों का तथा विशेष रूप से ऋणी(ओ)/गारन्टर(ओं) उधार लेने वाले और प्रत्याभूति–दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित चल/अचल संपत्ति जो प्रतिभूति लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है, का **रचनात्मक/भौतिक/सांकेतिक कब्जा** प्रतिभूति लेनदार के **प्राधिकृत अधिकारी, बैंक** द्वारा लिया गया है, को ''जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है'' के आधार पर **बैंक नीचे उल्लिखित ऋणी** ऋणी(ओ)/गारन्टर(ओं) की बकाया राशि की वसूली हेतु बेची जायेगी। प्रत्येक संपत्ति का रिजर्व मूल्य एवं अर्नेस्ट मनी विवरण नीचे उल्लिखित है, तथा संपित्तयों का ज्ञात प्रभार का संक्षिप्त विवरण, यदि कोई हो, के रूप में नीचे उल्लेख किया गया है।

लॉट सं.	शाखा का नाम / खाता का नाम / ऋणी/गारन्टर/बंधककर्ता का नाम व पता	अचल सम्पत्ति का विवरण एवं सम्पत्ति स्वामी का नाम	(अ) डिमांड नोटिस सरफेसी 13(2) के अनुसार (ब) बकाया राशि दिनांक (स) कब्जे दिनांक सरफेसी 13(4) के अनुसार (द) कब्जे का प्रकार (सांकेतिक/भौतिक/रचनात्मक)	(अ) रिजर्व मूल्य (ब) अर्नेस्ट मनी (EMD) (स) ईएमडी जमा के अंतिम तिथि (द) न्यूनतम बोली की वृद्धि	ई–नीलामी की तिथि एवं समय	सुरक्षित लेनदारों का ज्ञात प्रभार का विवरण
	सरफेसी एक्ट 2002 के तहत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 8(6) के अन्तर्गत 15 दिन का वैधानिक बिक्री नोटिस माना जायें।					
1	**शाखा : लक्ष्मण झुला रोड, ऋषिकेश** **ऋणी:** श्री नीरज अग्रवाल पुत्र श्री किशोरी लाल अग्रवाल, **पता 1.** मकान नं0 43, गली नं0 9, वीरभद्र रोड, ऋषिकेश, उत्तराखण्ड। **पता 2:** 85/57 (भाग), प्लॉट संख्या 31, लक्ष्मीपुरवा, कानपुर।	बंधक प्राइवेट प्लॉट नं0 31, परिसर नं0 85/57 का भाग, माप क्षेत्रफल 104.936 वर्ग मीटर स्थित लक्ष्मीपुरवा कानपुर, सम्पत्ति स्वामी श्री नीरज अग्रवाल पुत्र श्री किशोरी लाल अग्रवाल। सब-रजिस्ट्रार-1 ऑफिस कानपुर नगर, बुक सं. 1, जिल्द नं0 7975 के पेज नं0 1 से 20, क्र0सं0 285, दिनांक 31.01.2017 पर पंजीकृत है। सीमाएँ:- पूर्वः नजूल भूमि, पश्चिमः भवन नं0 85/57 का शेष आधा भाग, उत्तरः अन्य की सम्पत्ति, दक्षिणः 7.62 मीटर चौड़ा रास्ता। सम्पत्ति स्वामीः श्री नीरज अग्रवाल पुत्र श्री किशोरी लाल अग्रवाल, **पता 1.** मकान नं0 43, गली नं0 9, वीरभद्र रोड, ऋषिकेश, उत्तराखण्ड। **पता 2:** 85/57 (भाग), प्लॉट संख्या 31, लक्ष्मीपुरवा, कानपुर।	(अ) 10.06.2021 (ब) **रु0 1,00,14,687/-** (स) 22.03.2022 (द) सांकेतिक कब्जा	(अ) रु0 1,83,10,000/- (ब) रु0 18,31,000/- (स) 06.03.2024 को शाम 5.00 बजे तक (द) रु0 1.00 लाख	**07.03.2024** सुबह 11:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक	कोई ज्ञात नहीं
2	**शाखा : लक्ष्मण झुला रोड, ऋषिकेश** **ऋणी:** 1. मैसर्स न्यू टेंट बाजार, प्रो0 श्रीमती वनाजक्षी कल्लपाली उर्फ वनाजक्षी अग्रवाल पत्नी श्री नीरज अग्रवाल, पता 1. मकान नं0 43, गली नं0 9, वीरभद्र रोड, ऋषिकेश। पता 2. प्लॉट संख्या 136, निकट सीमा डेंटल कॉलेज ब्लॉक-बी एआईआईएमएस रोड, ऋषिकेश, उत्तराखण्ड।		(अ) 20.07.2021 (ब) **रु0 32,43,754/-** (स) 22.03.2022 (द) सांकेतिक कब्जा			

सम्पत्ति बिक्रि, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के अन्तर्गत लागू नियमों के अधीन व निम्नलिखित नियमों व शर्तों के अनुसार होगी।

1. नीलामी बिक्री ''ई–नीलामी के माध्यम से ऑनलाइन'' पोर्टल **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp पर दिनांक 07.03.2024** को प्रातः 11.00 बजे से शाम 04.00 बजे तक होगी। 2. इच्छुक बोलीदाताओं/क्रेताओं से अनुरोध है कि वे अपने मोबाइल नंबर और ईमेल–आईडी का उपयोग करके पोर्टल **(https://www.mstcauction.com)** पर पंजीकरण करें। इसके अलावा, उनसे अपेक्षित केवाईसी दस्तावेज अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है। एक बार केवाईसी दस्तावेजों को ई–नीलामी सेवा प्रदाता द्वारा सत्यापित किया जाता है (जिसमे 2 कार्य दिवस लग सकते हैं), इच्छुक बोलीदाता / क्रेता को ई–नीलामी से पहले तक अपने ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में ऑनलाइन मोड का उपयोग करके ईएमडी राशि को स्थानांतरित करना होगा। पोर्टल में समय नीलामी से पहले, केवाईसी दस्तावेजों का पंजीकरण और वॉलेट में ईएमडी के हस्तांतरण को पहले से अच्छी तरह से पूरा किया जाना चाहिए। 3. उपर्युक्त धनराशि जमा (ईएमडी) राशि का भुगतान ऑनलाइन भुगतान 3 मोड अर्थात एनईएफटी/कैश /ट्रांसफर (से चालान जनरेट करने के पश्चात) **(https://www.mstcecommerce.com/ auctionhome/ibapi/index.jsp)** के माध्यम से किया जाएगा। किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से किया जाता है, हालांकि कैश / ट्रांसफर के लिए बोली लगाने वाले को पंजाब नेशनल बैंक शाखा का दौरा करना पड़ता है। चेक जैसे किसी अन्य मोड द्वारा ईएमडी का भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा। बोलीदाताओं, जिन्होनें ईएमडी की राशि जमा नहीं कराई होगी को उन्हे ऑनलाइन ई–नीलामी में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ई–नीलामी में भाग लेने के लिए जमा की गई ईएमडी की राशि पर कोई देय ब्याज नहीं दिया जाएगा। 4. ई–नीलामी के लिए प्लेटफॉर्म **(https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp)** ई–नीलामी सेवा प्रदाता **M/S MSTC** लिमिटेड़ द्वारा प्रदान किया जाएगा, जिसका पंजीकृत कार्यालय 225–सी ए. जे.सी. बॉस रोड कोलकत्ता –700020 (संपर्क फोन और टेलीफोन में होगा। टोलफी नंबर 07941072412/411/413 या 1800–103–5342) इच्छुक बोलीदाताओं / क्रेताओं को ई–नीलामी की प्रक्रिया में ई–नीलामी के सेवा प्रदाता की वेबसाइट **https://www.mstcecommerce.com/ auctionhome/ibapi/index.jsp** के माध्यम से ई–नीलामी में भाग लेना होगा । 5. यहाँ अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित परिसंपत्तियों के विवरण को प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के लिए कहा गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस घोषणा में किसी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा। 6. नीलामी के आगे के नियमों और विनियमों के लिए या तो इन वेबसाइटों पर जाएं या **प्राधिकृत अधिकारी, मो0 8193024024** से **पंजाब नैशनल बैंक, सर्किल शास्त्र, पीएनबी हाउस 1 पल्टन बाजार, देहरादून,** मे संपर्क करें। बैंक बिना किसी कारण के नीलामी प्रक्रिया को रद्द / निलंबित करने का अधिकार रखता है। किसी भी प्रकार का टैक्स जैसे की टीडीएस/जीएसटी इत्यादि अथवा अतः कोई सफल बोलीदाता द्वारा स्वंय वहन किया जायेगा। कोई भी बोली वृद्धि राशि, भूमि, भवन एवं प्लांट व मशीनरी के समानुपात में मानी जायेगी। 7. सफल बोलकर्ता को दिये गये खाते में या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा तत्काल नीलामी राशि की 25 प्रतिशत राशि जमा करानी होगी या अगले दिन सुबह जमा करानी होगी (जिसमें पूर्व में जमा किया गया ईएमडी को समायोजित कर दिया जायेगा) बयाना राशि को नीलामी की राशि में बाद में समायोजित कर दिया जायेगा। 8. नीलामी की स्वीकृति के 15 दिनों के भीतर बोली लगाने वाले को 75 प्रतिशत राशि का भुगतान करना होगा। यदि वह शेष 75 प्रतिशत राशि का भुगतान दिये गये समय में नहीं कर पाता तो जमा की गयी राशि जब्त कर ली जायेगी और अनुपस्थित/दोषी व्यक्ति के सम्पत्ति सम्बन्धी सभी दावे या उससे सम्बन्धित दावे जिनकी बोली लगाई जानी है, वह भी खत्म हो जायेंगे। **यदि नीलामी वाले दिन को अवकाश घोषित है, तो नीलामी अगले दिन आयोजित की जाएगी।** 9. नोटः अधिक जानकारी के लिए इन मोबाइल नम्बरों पर सम्पर्क करें– **8193024024**

दिनांकः 20.02.2024 स्थान – देहरादून — प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक

टावर लगवाने के नाम पर महिला से चार लाख की ठगी, मुकदमा दर्ज

वाराणसी, 20 फरवरी (जनसत्ता)।

टावर लगवाने के नाम पर एक महिला लाखों रुपए की ठगी का शिकार हो गई। महिला की तहरीर पर सिगरा पुलिस ने मंगलवार को प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरु कर दी है। आरोपी सूरजपुर गौतमबुद्ध नगर का रहने वाला है। सिगरा में नितेश यादव की पत्नी नीलम सहनी रहती है। उन्होंने बताया कि सूरजपुर गौतमबुद्ध नगर के रहने वाले डा सुशील उपाध्याय ने टावर लगवाने के नाम पर 9 माह पूर्व चार लाख रुपए लिए थे।

नीलम का आरोप है कि वह जब टावर लगवाने की बात कहती तो सुशील कुछ दिन और रुकने की बात करते हुए टरकाता जा रहा था। जिससे परेशान होकर महिला ने सिगरा थाने में तहरीर दी। पुलिस ने आइपीसी की धारा 420 और 406 के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है।

सहारनपुर में 17 अप्रैल तक लागू हुई धारा 144

सहारनपुर, 20 फरवरी (जनसत्ता)।

विभिन्न पर्व–त्योहारों, परीक्षा व अन्य संवेदनशील गतिविधियों के मद्देनजर जनपद सहारनपुर में 17 अप्रैल तक के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। इस संबंध में जिलाधिकारी दिनेश चंद्र ने विस्तृत आदेश जारी कर दिया है। जिला मजिस्ट्रेट डा दिनेश चंद्र ने कहा कि निकट भविष्य में होने वाले त्योहार संत रविदास जयंती, शबे–बारात, महाशिवरात्रि, होली, गुड फ्राइडे, इस्टर, इद–उल–फितर, अंबेडकर जयंती, रामनवमी आदि आयोजनों पर कुछ असामाजिक तत्व अशांति फैला सकते हैं। एहतियातन जिले में धारा–144 लागू कर दी गई है।

डीएम ने कहा कि किसी भी सार्वजनिक स्थल पर 04 या 04 से अधिक व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के धरना–जुलूस–प्रदर्शन आदि के लिए एकत्रित नहीं होंगे और न ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेंगे।